राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3802/2024

राजेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डीईओ, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 7.12.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को गलत तरीके से अधिशेष माना गया है और दिनांक 14.11.2024 की नीति के विरुद्ध राजकीय महात्मा गांधी स्कूल, शेरपुर, धौलपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनरा, धौलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है और साथ ही दिनांक 4.1.2023 और 3.1.2024 के परिपत्रों का उल्लंघन किया गया है जिसके तहत स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण केवल सीएमओ की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है, लेकिन आरोपित आदेश सीएमओ से अनुमति लिए बिना और किसी प्रक्रिया या नीति का पालन किए बिना और काउंसलिंग किए बिना जारी किया गया है और रिक्त पद की स्थिति प्रकाशित नहीं की गई है। आरोपित आदेश अधिकारियों की मर्जी से बिना दिमाग लगाए और वरिष्ठता की स्थिति पर विचार किए बिना जारी किया गया है और कनिष्ठ व्यक्तियों को उसी ब्लॉक में तैनात किया गया है और अपीलकर्ता को दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत है

तथा वह वर्तमान नियुक्ति स्थान पर था तथा बाद में उक्त विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय, शेरपुर, धौलपुर में परिवर्तित हो गया। अपीलार्थी शिक्षक ग्रेड III लेवल II सामाजिक विज्ञान के पद पर काम कर रहा है, लेकिन उसे गलत तरीके से अधिशेष माना गया है क्योंकि कुछ महात्मा गांधी विद्यालयों में लेवल–2 के अध्यापक उपलब्ध हैं तथा कुछ विद्यालयों में लेवल–2, सामाजिक विज्ञान के पद समाप्त कर दिए गए हैं तथा इस आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर दिया गया है तथा अन्य विद्यालयों में अध्यापक अभी भी महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत हैं। अपीलार्थी ने बिना किसी प्रक्रिया या नीति का पालन किए दिनांक 7.12.2024 के आदेश के तहत दूसरे ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनरा, धौलपुर में पदस्थापित किया है जो विभाग की नीति के विरुद्ध है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 7.12.2024 के आरोपित आदेश को पारित करने से पूर्व विभाग द्वारा एक नीति तैयार की गई थी जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिशेष शिक्षकों के अवशोषण के प्रयोजन के लिए, i) संबंधित शिक्षक को उसी विद्यालय में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, ii) संबंधित शिक्षक को उसी राजस्व गांव में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, iii) यदि उसी राजस्व गांव में पद रिक्त नहीं है तो अधिशेष शिक्षक को उसी ग्राम पंचायत में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, iv) यदि उसी ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है तो अधिशेष शिक्षक को उसी ब्लॉक में रिक्त पद पर तैनात किया जाए और v) यदि उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है तो रिक्त पद पर अन्य ब्लॉक में, अधिमानतः किसी अन्य ब्लॉक में निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाए। (अनुलग्नक–2) दिनांक 7.12.2024 के आदेश पारित करते समय, अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को हेमकांत शर्मा की तरह उसी ब्लॉक में तैनात किया गया था और अपीलार्थी भी वरिष्ठ थे, लेकिन दिनांक 14.1.2024 की नीति का उल्लंघन करते हुए अन्य ब्लॉक में तैनात थे, यहां तक कि कई पद उसी ब्लॉक में पड़े हुए हैं। अधिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की सम्पूर्ण प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व कोई काउंसलिंग नहीं की गई है, रिक्त पदों की जानकारी भी प्रदर्शित नहीं की गई है तथा वरिष्ठ व्यक्ति को अन्य ब्लॉक में तथा कनिष्ठ व्यक्ति को उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। शिक्षक ग्रेड III लेवल II के पद पर कार्यरत अनेक शिक्षकों को शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर तैनात किया गया है, लेकिन अपीलार्थी के मामले में समान व्यवहार की अनुमति नहीं दी गई है। उसी ब्लॉक में कई पद रिक्त हैं, लेकिन रिक्त पद पर विचार किए बिना अपीलार्थी को दूसरे ब्लॉक में तैनात कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 7.12.2024 के आदेश को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ शिक्षक ग्रेड III लेवल II सामाजिक विज्ञान, राजकीय महात्मा गांधी स्कूल, शेरपुर, जिला धौलपुर के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य